

भारतीय मानक ब्यूरो
(केन्द्रीय मुहर विभाग - I)

हमारा सन्दर्भ: सीएमडी-I/14:2

18 मार्च 2024

विषय: [विदेश व्यापार नीति, 2023] अग्रिम प्राधिकरण धारकों, ईओयू और एसईजेड इकाइयों के लिए इनपुट के आयात और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की प्रयोज्यता - हेतु।

उपर्युक्त विषय पर परिपत्र दस्तावेज़ सभी संबंधित पक्षों के कार्यान्वयन के लिए सलग्न है।

(मोहित जनोहिया)
वैज्ञ-डी/सीएमडी-I

प्रमुख, सीएमडी-I

उपमहानिदेशक (प्रमाणन एवं सीएसएम)

Bureau of Indian Standards
(Central Marks Department - I)

Our Ref: CMD-I/14:2

18 March 2024

Subject: [Foreign Trade Policy, 2023] Import of inputs and applicability of Quality Control Orders for Advance Authorisation holders, Export Oriented Units and Special Economic Zones - reg.

The document on the above subject is attached herewith for implementation by all concerned.

(Mohit Janoiya)
Sc.D/CMD-I

Head, CMD-I

DDG (Certification & CSM)

परिचालित/circulated to:

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखा कार्यालयों
All ROs/BOs

प्रमुख, सीएमडी-I
Head, CMED

सभी उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय)
All DDGRs

उपमहानिदेशक (आईटीएस, पीआरटी & टीएनएम)
DDG (ITS, PRT & TNM)

अन्य सभी संबंधित पक्ष - बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से
All other concerned - through BIS intranet

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Central Marks Department - I)

Our Ref: CMD-I/14:2

18 March 2024

Subject: [Foreign Trade Policy, 2023] Import of inputs and applicability of Quality Control Orders for Advance Authorisation holders, Export Oriented Units and Special Economic Zones - reg.

The Quality Control Orders (QCOs) are issued by the line Ministries/Departments of the Government of India as a technical measure with twin objectives of uplifting the quality ecosystem of the country and curbing the import of sub-standard products into the national market.

- 2) The QCOs issued under the BIS Act, 2016 extends to the whole of India and are applicable to products sold into the national market by both the domestic manufacturers and foreign manufacturers. Exemptions, if required, are provided by the concerned line Ministries/Departments under the available enabling provisions.
- 3) In this regard, it may be noted that under the provisions of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992; the Ministry of Commerce and Industry has notified the Foreign Trade Policy (FTP), 2023 to facilitate exports and streamlining the Advance Authorisation (AA) scheme and import of inputs by Export Oriented Units (EOUs)/Special Economic Zones (SEZs).
- 4) Under this FTP 2023, the enabling provisions have been notified by the Central Government to allow import of inputs under AA licence and by EOUs/SEZs, without compliance to the QCOs.
 - i) These inputs shall be utilised in the manufacturing of the export products regulated through conditions stipulated by Directorate General of Foreign Trade (DGFT) offices and explicitly endorsed in their advance authorisation, upon the request of the authorisation holder. These inputs imported without compliance to the provisions of QCOs are not meant for products of the national market.
 - ii) The list of Ministries/Departments whose notified QCOs are applicable for exemption under FTP 2023 have been listed under its Appendix-2Y.
 - iii) Presently, the QCOs issued under the BIS Act by the following Ministries/Departments are applicable for exemption for imports through a valid AA licence and for EOUs/SEZs:
 - a) Ministry of Steel
 - b) Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT (earlier known as Department of Industrial Policy & Promotion, DIPP)
 - c) Ministry of Textiles

5) The copy of enabling provisions notified in FTP 2023 and its Appendix-2Y are attached as *Annexure-I* and *Annexure-II* respectively.

- i) This information may be taken note of especially with a view to ensure coordination with DGFT authorities including its zonal/regional offices at the field level by the ROs/BOs of BIS.
- ii) The effect of these notifications as provided in the FTP 2023 policy notification dated 11 March 2024 is given below for ready reference:

“Enabling provisions are made for exempting inputs imported by Advance Authorisation holders, EOUs and SEZs, from mandatory Quality Control Orders (QCOs). Accordingly, list of Ministries/ Departments [i.e. Ministry of Steel, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and Ministry of Textiles] notified in Appendix 2Y of FTP, 2023.”

6) This issues with the approval of competent authority.

Encl. as above

(Mohit Janoiya)
Sc.D/CMD-I

Head, CMD-I

DDG (Certification & CSM)

परिचालित/circulated to:

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखा कार्यालयों
All ROs/BOs

प्रमुख, सीएमईडी
Head, CMED

सभी उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय)
All DDGRs

उपमहानिदेशक (आईटीएस, पीआरटी & टीएनएम)
DDG (ITS, PRT & TNM)

अन्य सभी संबंधित पक्ष - बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से
All other concerned - through BIS intranet



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252927
CG-DL-E-13032024-252927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1189]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945

No. 1189]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सं. 71/2023

विषय: अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, ईओयू इकाइयों और एसईजेड द्वारा ऐसे निविष्टि के आयात के लिए प्रावधानों को समर्थ बनाना जो अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के तहत हैं।

का.आ. 1251(अ).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.03 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 07.03.2024 की अधिसूचना सं. 69/2023 के अधिक्रमण में तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. एफटीपी 2023 के पैरा 2.03 के नीचे एक नया पैरा 2.03 (क) निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

“2.03क अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) हेतु अनुपालन के बिना अग्रिम प्राधिकार पत्र/ईओयू/एसईजेड के तहत मर्दों का आयात करने की योग्यता

अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अनुपालन के बिना अग्रिम प्राधिकार पत्र/ईओयू/एसईजेड के तहत निविष्टियों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा:

i) अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु :

क) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अनुपालन के बिना अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निविष्टियों का आयात, पूर्व-आयात शर्त के साथ होगा। ऐसी निविष्टियों का उपयोग निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में किया जाएगा (अपव्यय के लिए सामान्य छूट देते हुए) और समान प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किया जाएगा।

ख) प्राधिकार पत्र धारक के अनुरोध पर अग्रिम प्राधिकार पत्र में अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट को विशेष रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा। छूट के विशिष्ट पृष्ठांकन के बिना प्राधिकार पत्र के तहत आयात अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

ग) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन के बिना ऐसे किसी भी अप्रयुक्त आयातों या आयातित निविष्टियों के साथ निर्मित उत्पादों को निर्यात दायित्व की पूर्ति में चूक के नियमित होने के बाद भी डीटीए में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इस पैरा के प्रयोजन के लिए अप्रयुक्त आयात का अर्थ आयातित निविष्टि है (अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन के बिना) जिसे समान प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किए गए उत्पाद में सियोन/तदर्थ मानदंडों के अनुसार शामिल नहीं किया गया है।

घ) अप्रयुक्त आयात को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा :

i. अप्रयुक्त सामग्री को क्षेत्राधिकार प्राप्त जीएसटी/सीमाशुल्क प्राधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाएगा जो माल को नष्ट किए जाने को प्रमाणित करेंगे या इसका पुनः निर्यात किया जा सकता है;

ii. इसके अतिरिक्त, वस्तुओं के उद्गम के बावजूद ऐसे अप्रयुक्त आयात सीमा/शुल्क प्राधिकारियों को छूट प्राप्त सामग्री पर ब्याज के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन के आधार पर प्रभावित शुल्क का भुगतान करने हेतु पात्र होगा और इसके साथ ही डीजीएफटी को अप्रयुक्त आयातित निविष्टि के सीआईएफ मूल्य के 10 प्रतिशत समतुल्य राशि का संयोजन शुल्क भी देगा।

(ङ) गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट केवल वास्तविक निर्यातों के लिए उपलब्ध है और ऐसी छूट अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों के लिए मान्य निर्यातों हेतु अनुमत नहीं होगी।

(च) प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2023 के पैरा 4.36 के तहत क्लबिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(छ) ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए ईओ अवधि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.40 के अनुसार होगी। तथापि निर्यात दायित्व अवधि वस्त्र उत्पादों हेतु क्यूसीओ छूट के संबंध में आयात खेप की निकासी की तिथि से 180 दिनों के लिए प्रतिबंधित है।

(ज) डीएफआईए स्कीम के तहत अनिवार्य क्यूसीओ हेतु अनुपालन के बिना निविष्टियों का आयात अनुमत नहीं है।

(झ) यह छूट आगे विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.03 (ग) के अधीन है:

ii) ईओयू के लिए:

(i) निविष्टि के आयात पर ईओयू इकाइयों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत जारी अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की जाएगी जो निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित है। ऐसी निविष्टि या ऐसी निविष्टियों से निर्मित वस्तुओं की किसी डीटीए क्लियरेंस की अनुमति नहीं है। आयात के समय ईओयू इकाइयों द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित विकास आयुक्त को भी सौंपी जाएगी। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट केवल वास्तविक निर्यातों के लिए उपलब्ध है और ऐसी छूट अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों के लिए मान्य निर्यातों हेतु अनुमत नहीं होगी। यह छूट आगे विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.03 (ग) के अधीन है।

iii) एसईजेड के लिए:

(i) निविष्टि के आयात पर एसईजेड को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत जारी अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की जाएगी जो निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित है। ऐसी

निविष्टि या ऐसी निविष्टियों से निर्मित वस्तुओं की किसी डीटीए क्लियरेन्स की अनुमति नहीं है। आयात के समय एसईजेड इकाइयों द्वारा एसईजेड के संबंधित विकास आयुक्त को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट केवल वास्तविक निर्यातों के लिए उपलब्ध है। यह छूट आगे विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.03(ग) के अधीन है”।

3. निम्नलिखित उप पैरा (ग) विदेश व्यापार नीति 2023 के मौजूदा पैरा 2.03 में जोड़ा गया है:

“(ग) मंत्रालयों/विभागों की सूची जिनकी अधिसूचना अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है, विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2म में दी गई है”।

इस अधिसूचना का प्रभाव: अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, ईओयू इकाइयों और एसईजेड द्वारा आयातित निविष्टियों को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से छूट देने के लिए समर्थकारी प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, मंत्रालयों/विभागों [अर्थात् इस्पात मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और वस्त्र मंत्रालय] की सूची को विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2म में अधिसूचित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/13/एएम-15/पीसी-2[क]/ई-5910]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

No. 71/2023

Subject:- Enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance Authorisation holders, EOU and SEZ.

S.O. 1251(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.03 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Central Government hereby makes the following amendments to FTP, 2023 with immediate effect, in supersession of Notification No. 69/2023 dated 07.03.2024.

2. A new para **2.03 (A)** is inserted below para 2.03 of FTP 2023, as follows:

“2.03A Importability of items under Advance Authorisation/EOU/SEZ without compliance to the mandatory Quality Control Orders (QCOs)

Import of Inputs under Advance Authorisation/EOU/SEZ without compliance to the mandatory QCOs, shall be subjected to the following conditions:

i) For Advance Authorisation:

- Import of inputs under the Advance authorisation without compliance to the mandatory QCOs shall be with pre-import condition. Such inputs shall be utilised in the manufacturing of the export product (making normal allowance for wastage) and shall be exported under the same authorisation.
- Exemption from mandatory QCOs shall be specifically endorsed in the Advance authorisation, upon the request of the authorisation holder. Imports under Authorisation without specific endorsement of exemption shall be made in accordance with mandatory QCOs.
- Any unutilised imports or the products manufactured with inputs imported without compliance to the mandatory QCOs, shall not be transferred to DTA, even after regularisation of default in fulfilment of export obligation. For the purpose of this para, unutilised imports means imported inputs (without compliance of mandatory QCOs) which have not been accounted for, as per SION/Ad-hoc Norms, in the product exported under the same authorisation.

- d) The unutilised imports shall be regularised as follows:
- (i) The unutilised material shall be destroyed in the presence of jurisdictional GST/Customs authorities who shall certify the destruction of the goods or same may be re-exported;
 - (ii) In addition, such unutilised imports, irrespective of origin of goods, shall be liable to payment of effective duty on MFN basis along with interest on the exempted material, to Customs Authorities plus composition fee of an amount equivalent to 10% of the CIF value of unutilized imported inputs to DGFT. Proof thereof shall be submitted to the RA concerned before grant of EODC.
- (e) The exemption from QCO will be available for physical exports only and such exemption will not be allowed for deemed exports for Advance Authorisation Holders.
- (f) The facility of clubbing under para 4.36 of Handbook of Procedures (HBP), 2023 shall not be available.
- (g) The Export Obligation period for such authorizations shall be as per para 4.40 of Handbook of Procedures. However, EO period is restricted to 180 days from the date of clearance of import consignment in respect of QCO exemption for textile products.
- (h) Import of Inputs without compliance to the mandatory QCOs under DFIA scheme is not allowed.
- (i) This exemption is further subject to para 2.03 (c) of FTP.

ii) **For EOUs**

(i) Exemption from applicability of mandatory QCOs issued under the BIS Act, 2016, shall be provided to EOU on import of inputs which are required for export production. No DTA clearance of such inputs or goods manufactured made out of such inputs, are allowed. An undertaking to that effect will be submitted to the Customs authorities by the EOU at the time of importation and a copy of the same shall also be submitted to the Development Commissioner concerned. The exemption from QCO will be available for physical exports only and such exemption will not be allowed for deemed exports. This exemption is further subject to para 2.03 (c) of FTP.

iii) **For SEZ**

(i) Exemption from applicability of mandatory QCOs issued under the BIS Act, 2016, shall be provided to SEZ on import of inputs which are required for export production. No DTA clearance of such inputs or goods manufactured made out of such inputs, are allowed. An undertaking to that effect will be submitted to the concerned Development Commissioner of the SEZ by the SEZ Unit at the time of importation. The exemption from QCO will be available for physical exports only. This exemption is further subject to para 2.03 (c) of FTP”.

3. The following sub-para (c) is appended to the existing para 2.03 of FTP 2023:

“(c) The list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products, are given in **Appendix-2Y** of FTP 2023”.

Effect of this Notification: Enabling provisions are made for exempting inputs imported by Advance Authorisation holders, EOUs and SEZ from mandatory Quality Control Orders (QCOs). Accordingly, list of Ministries / Departments [i.e. Ministry of Steel, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and Ministry of Textiles] are notified in **Appendix 2Y** of FTP, 2023.

This issue with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/13/AM-15/PC-2[A]/E-5910]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Annexure - II

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252857
CG-DL-E-12032024-252857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945

No. 58]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सं. 50/2023

विषय: अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, निर्यातान्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन निविष्टियों के आयात के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाने के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/13/एएम-15/पीसी-2 [क]/ई-5910.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा उन मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है को संशोधित करते हैं। तदनुसार, दिनांक 07.03.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 47/2023 के अधिक्रमण में मंत्रालयों/विभागों की सूची को अद्यतित किया गया है। अद्यतित परिशिष्ट 2म इसके साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

परिशिष्ट-2म(एफटीपी का पैरा 2.03 (ग) देखें)

मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है।

| क्रम संख्या | मंत्रालयों/विभागों के नाम |
|-------------|---|
| 1 | इस्पात मंत्रालय |
| 2 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआईटी) |
| 3. | वस्त्र मंत्रालय |

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

दिनांक 11.03.2024 की अधिसूचना संख्या 71/2023 के अनुसरण में, एफटीपी, 2023 के तहत नए परिशिष्ट 2म को तत्काल प्रभाव से जोड़ा गया है और उन मंत्रालयों/विभागों की सूची को जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है, को अद्यतित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(Directorate General of Foreign Trade)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th March, 2024

No. 50 /2023

Subject: Enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance Authorisation holders, EOU and SEZ - regarding.

F. No.01/89/180/13/AM-15/PC-2[A]/E-5910.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Director General of Foreign Trade hereby makes amendment in the list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products. Accordingly, list of Ministries/Departments is updated in supersession of Public Notice No. 47/2023 dated 07.03.2024. The updated Appendix 2Y is reproduced herewith :

Appendix -2Y**(Refer Para 2.03(c) of FTP)**

The list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products.

| Sl.No | Name of Ministry / Department |
|-------|---|
| 1 | Ministry of Steel |
| 2 | Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) |
| 3 | Ministry of Textiles |

Effect of this Public Notice:

In pursuance of Notification No. 71/2023 dated 11.03.2024, a new Appendix 2Y under FTP, 2023 has been created with immediate effect and list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products, have been updated.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and Ex- officio Addl. Secy.